भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह,विल्लिंग्डनआईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

F.No. CUS/BBG/MISC/348/2024-IMP/Bond -O/o COMMR-CUS-COCHIN

DIN: 20241058MB0000448466 दिनांक Date:अनुमोदित तिथि Approved Date

**सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE No.10/2024**

दिनांक 31 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या 57/2024-सीमा शुल्क (एन.टी.) की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट एवं ट्रांसशिपमेंट विनियमन (एससीएमटीआर) के चरणबद्ध कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।

Kind attention is invited to the Notification No.57/2024-Customs(N.T.) dated 31st August, 2024 vide which phase-wise implementation of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR) has been notified.

2. एससीएमटीआर का उद्देश्य पारदर्शिता, आवाजाही की पूर्वानुमेयता, जोखिम आधारित सीमा शुल्क निकासी के लिए सूचनाओं का अग्रिम संग्रह की प्रक्रिया को समाहित करना है। उक्त विनियम आयातित/निर्यातित वस्तुओं की आवाजाही में शामिल विभिन्न हितधारकों हेतु दायित्वों, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं। साथ ही ये विनियम घोषणापत्र दाखिल करने हेतु प्रारूपों और समयसीमा में परिवर्तन को भी निर्दिष्ट करते हैं। बोर्ड के दिनांक 30 सितंबर, 2020 के परिपत्र संख्या 43/2020- सीमा शुल्क ने उपर्युक्त पहलुओं को अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है।

The SCMTR seeks to bring about transparency, predictability of movement, advance collection of information for expeditious risk-based Customs clearance. The regulations stipulate the obligations, the roles and responsibilities, for the various stakeholders involved in the movement of imported/exported goods. The regulations also specify the changes to the formats and timelines for filing the manifest declarations. Board Circular No. 43/2020- Customs dated 30th September, 2020 has elaborated more on the above aspects.

3. विनियमन 15 (2) के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में, पुराने प्रारूपों को स्वीकार करना जारी रखा गया है, जिससे चरणबद्ध रीति से नए प्रारूपों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हुआ है।

As the transitional provision under Regulation 15 (2), the old formats have continued to be accepted, thereby giving sufficient time for complying with the new formats in a phased manner.

4. बोर्ड ने 31 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या 57/2024-सीमा शुल्क (एन.टी.) के अनुसरण में अब चरणबद्ध रीति से एससीएमटीआर को लागू करने का निर्णय लिया है। विभिन्न पोर्टों पर एससीएमटीआर का कार्यान्वयन निम्नानुसार होगा:

It has now been decided by the Board to implement SCMTR in a phased manner in terms of the Notification No. 57/2024-Customs (N.T.) dated 31st August, 2024. Implementation of the SCMTR at different ports shall be as follows:

| क्र.सं. Sr. No. | सीमा शुल्क पोर्ट Customs Ports | नए प्रारूप में एससीएमटीआर प्रविष्टि के कार्यान्वयन की तिथि Date of Implementation of SCMTR filing in new format |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Mormugao(INMRM1) | 11.09.2024 |
| 2. | Mangalore (INNML1) | 01.10.2024 |
| 3. | Mumbai (INBOM1) and Kandla(INIXY1) | 16.10.2024 |
| 4. | Tuticorin(INTUT1) and Vishakhapatnam(INVTZ1) | 01.11.2024 |
| 5. | Ennore (INENR1), Kattupalli (INKAT1) and Cochin (INCOK1) | 16.11.2024 |
| 6. | All the Customs Ports other than mentioned at Sr. No. 1 to 5 above | 01.12.2024 |

5. उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या (3) में विनिर्दिष्ट तिथियों के अनुसरण में, कोचिन सी-पोर्ट में एससीएमटीआर के अनुरूप नए प्रारूप में प्रविष्टि दिनांक 16.11.2024 से अनिवार्य हो जाएगी। अतः हितधारकों को सलाह दी जाती है कि, वे तुरंत ही प्राथमिकता के आधार पर समानांतर रूप से नए प्रारूप में दस्तावेजों की प्रविष्टि करें, क्योंकि ऐसा न करने पर प्रभावी तिथि अर्थात 16.11.2024 से अनिवार्य होने के बाद उन खेपों हेतु कार्गो निकासी समय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

As per the dates mentioned in column no. (3) of the table above, filing only in the new format as per SCMTR will become mandatory in Cochin Seaport from 16.11.2024. Therefore the stakeholders are advised to start filing documents immediately in the new format on a parallel basis on

priority, as failure of the same may negatively impact cargo clearance times for those consignments after the same becomes mandatory on the effective date i.e, 16.11.2024.

6. इस संबंध में आने वाली किसी भी कठिनाई को सीमा शुल्क गृह, कोचिन, विल्लिंग्डन आईलैंड में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात एवं बांड) के संज्ञान में लाया जाएं।

Any difficulty faced in this regard may be brought to the notice of the Deputy/Assistant Commissioner of Customs (Import & Bonds) at Custom House, Cochin, Willingdon Island

Signed by
Gurkaran Singh Bains
Date: 17-10-2024 22:35:55

गुरकरण सिंह बैंस Gurkaran Singh Bains
आयुक्त Commissioner

प्रतिलिपि Copy To,

1. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. रोड, कोचिन-682 018
The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiurvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Road, Cochin-682 018
2. ई डी आई- कोचिन सीमा शुल्क वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए EDI- To Publish in Cochin Customs Website
3. सूचना पट्ट Notice Board